International Journal of Arts & Education Research

जनहित याचिकायें- एक सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

डा० जिले सिंह
शोधनिदेशक
राजनीति शास्त्र विभाग
सिंघानिया विश्वविद्यालय
झंझुनू, राजस्थान।

कल्पना पटेल
शोधार्थी
राजनीति शास्त्र विभाग
सिंघानिया विश्वविद्यालय
झंझुनू, राजस्थान।

इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहॉ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका का प्रारम्भ **पी०एन०भगवती** ने किया। भारत एक लोकतन्त्रात्मक देश है, अतः लोकतन्त्र के अस्तित्व को सुरक्षित रखना राज्य के प्रत्येक अंग का प्रमुख कर्तव्य है। संविधान के लागू होने के अनेकों वर्षों के उपरान्त ऐसा महसूस किया जाने लगा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व में रहते हुए भी नागरिक अपने मूल एवं अन्य विधिक अधिकारों से वंचित हैं। न्याय प्रशासन की प्रणाली इतनी जटिल, पेचीदगियों से परिपूर्ण एवं महँगी है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायालय तक पहुँचना लगभग असम्भव है। हमारी न्यायिक व्यवस्था कॉमन लॉ पर आधारित हैं जिसमें प्राइवेट हित मुकदमा के तहत दो विपरीत या प्रतिकूल हित रखने वाले पक्षकारों के बीच किसी भूतकाल की घटना से सम्बन्धित अधिकारों एवं दायित्वों से सम्बन्धित झगड़े में न्यायालय निर्णय देते हैं, लेकिन भारत में असंख्य गरीब एवं असहाय व्यक्तियों क लिए ऐसी व्यवस्था निरर्थक साबित हो रही है। अतः समय की मॉग के साथ नई व्यवस्था **'जनहित याचिका'** के रूप में न्यायिक पटल पर उभर कर आई है।

जनहित याचिकाओं का अर्थ

जनहित याचिका जिसे Public Interest Litigation भी कहा जाता है। यह वह याचिका है जोकि जन (लोगों) के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जन हित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरूद्ध, जिनमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ये याचिकायें जनहित को सुरक्षित तथा बढ़ाना चाहती हैं। ये लोकहित की भावना पर कार्य करती हैं। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है। ये समूह हित में काम आती हैं ना कि व्यक्ति हित में। यदि इनका दुरूपयोग किया जायं तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। इनको स्वीकारना या न स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है।

न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। अतः जो कुछ भी देश में हो रहा है उसकी न्यायपालिका अनदेखी नहीं कर सकती है। जो लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोकहित की बलि चढ़ा रहे हैं, उनसे देश को बचाना न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है और इसी सन्दर्भ में जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने ऐसे समय में दखल किया है जब आम आदमी को न्याय मिलने की सारी आशायें धूमिल होती जा रही हैं।

समय-समय पर जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने समाज के कमजोर वर्ग को राहत पहुँचाने का सार्थक प्रयास किया है। न्यायालय ने आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता भी जताई है, अनेक मामलों में न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिका का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, इसे किसी परिधि में बॉधना सम्भव नहीं है।

अतः जनहित याचिका एक ऐसी व्यूह रचना है जिसके माध्यम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समाज के गरीब व असहाय व्यक्तियों को उनका अधिकार दिलवा सकती है। जनहित याचिका के माध्यम से राज्य की कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाया जा सकता है। जनहित याचिकाओं को राज्य में व्याप्त अराजकता की स्थिति, शोषणात्मक प्रवृत्तियों पर तथा अत्याचारपूर्ण कार्यवाही के विरूद्ध प्रयोग में लाया जाता है ताकि जनता को संविधान प्रदत्त अधिकार उपलब्ध हो सकें। जनहित याचिकाओं से असहाय व दीन-हीन लोगों में आशा की किरण न्याय पाने की दिशा में जागृत हुई है। जनहित याचिका के माध्यम से जो लोग न्यायालय में जाकर न्याय पाने में असमर्थ रहते थे, आज न्यायालय स्वयं उनके दरवाजे पर उनकी सुनवाई करने के लिए पहुँच रही है, और इस प्रयास में समाज के अन्य वर्ग भी सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।

लोकहित वाद को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वितीय संस्करण के वाल्यूम-१२ में सामान्य, अच्छा तथा लोक कल्याण कहा है। लोकहित मुकदमा को सामान्यतः जनहित नाम से भी जाना जाता है।

ब्लैक के शब्दकोष के छठे संस्करण में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि, 'लोकहित-इसके अर्न्तगत वह बात आती है जिसमें लोक अथवा समुदाय का कोई आर्थिक या कोई विशेष हित निहित होता है अथवा जिसके द्वारा उनका विधिक अधिकार व दायित्व प्रभावित होते हैं।

स्काउट्स के न्यायिक शब्दकोषके चतुर्थ संस्करण में, 'लोकहित का तात्पर्य लोकहित मामले या सामान्य हित से है अथवा उस हित से है, जिसके द्वारा विधिक अधिकार एवं दायित्व प्रभावित होते हैं।'

इस तरह लोकहित मुकदमा का अर्थ न्यायालय में शुरू की गयी विधिक कार्यवाही से है जो लोकहित या सामान्य हित को प्रभावित कराने हेतु की जाती है। जिसमें जनता या समुदाय के किसी वर्ग के कुछ हित सम्मिलित होते हैं, जिससे उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं।

लोकहित याचिका में लोकहित के पश्चात् याचिका शब्द सम्मिलित है जिसका अर्थ है एक विधिक कार्यवाही से है, जिसके तहत न्यायालय में शुरू की गयी समस्त कार्यवाही सम्मिलित है। जिनका उद्देश्य अधिकार या एक उपाय को प्रभावी बनाना है। जहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किसी लोक संस्था या अधिकारिता द्वारा किया जाता है। जनता दल बनाम एच०एस०चौधरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के अर्थ को विस्तृत रूप से बताते हुए मुकदमा शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया है। मुकदमे का अर्थ ऐसे विधिक अनुयोजन से है, जिसमें ऐसी समस्त कार्यवाही सम्मिलित है जोकि एक अधिकार को प्रवर्तित करने या उपाय ढूँढ़ने के उद्देश्य से न्यायाल में प्रारम्भ की जाती है। अतः लोकहित वाद का अर्थ एक ऐसी विधिक कार्यवाही से है, जो न्यायालय में इसलिए प्रारम्भ की जाती है जिसका उद्देश्य ऐसे लोकहित व सामान्य हित को प्रवर्तित कराना है जिसमें लोक या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक या कोई हित है जिससे उनका विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होता है।

लोकहित मुकदमे में रिट पिटीशन, गरीब, असहाय, निरक्षर लोगों की ओर से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में दायर किया जाता है, क्योंकि वे लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य विवशता के कारण अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में असमर्थ होते हैं।

लोकहित वाद में **'सुने जाने का अधिकार'** की अवधारणा को उदारीकृत किया गया है, क्योंकि न्याय के रास्ते में प्रक्रियात्मक तकनीकियों या पेचीदगियों को आड़े नहीं आना चाहिए। न्यायालय पिटीशनर से यह नहीं पूछेगी कि उसके किस विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जहाँ वह गरीब, अशिक्षित, असहाय व्यक्तियों या लोकहित के संरक्षण व संवर्धनार्थ न्यायालय के सामने आता है। न्यायालय वाद-हेतु अभिवचन (Pleading) व प्रक्रियात्मक औपचारिकता पर जोर नहीं डालेगी।

जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ के अर्न्तगत उच्चतम न्यायाल के समक्ष।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अर्न्तगत उच्च न्यायालय के समक्ष।

जनहित याचिका कब दायर की जा सकती हैं?

जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना, जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो। किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है-

कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो।

साधारण पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर करना-

जनहित याचिका एक खत या पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गयी हो-

१. व्यथित व्यक्ति द्वारा।
२. समाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा।
३. उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते।

जनहित याचिका किसके विरूद्ध दायर की जा सकती है?-

जनहित याचिका केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरूद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरूद्ध दायर नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कम्पनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस पक्ष या कम्पनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेरठ में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे-

- उत्तर प्रदेश राज्य/भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं।
- राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
- निजी कारखाना।

जनहित याचिका दायर होने के बाद न्याय का प्रारूप-

- सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इनमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बन्द करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं।
- अन्तिम आदेश जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अन्दर लागू करना होता है।

जनहित याचिका दायर करने हेतु परिस्थितियॉं-

- जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन होता हो।
- जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो।
- जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो।
- जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो।
- जब सड़क में रोशनी की व्यवस्था न हो, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो।
- तब कहीं रात में ऊँची आवाज में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो।
- जहॉं निर्माण करने वाली कम्पनी पेड़ों को काट रही हो, और वातावरण प्रदूषित कर रही हो।
- जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो।
- जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए।
- बाल श्रम एवं बन्धुआ मजदूरी के खिलाफ।
- लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए।
- उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए।
- सड़क एवं गलियों के रखरखाब के लिए।
- साम्प्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए।
- व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई न हो।

जनहित याचिका से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-

- रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटलमेन्ट केन्द्र बनामक उत्तर प्रदेश राज्य और रामशरण बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से सम्बन्धित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए।
- शीला बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
- लेकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति, संगठन इन्हें ला सकता है।
- कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका मानकर ये जारी कर सकता है।

- कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे।
- ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लायी जा सकती है।

जनहित याचिकाओं का महत्व-

हर समाज में असमानतायें या विषमतायें मानव सभ्यता के विकास के साथ से ही चली आ रही हैं। इन विषमताओं के कारण एक वर्ग हमेशा से ही प्रत्येक सुख-सुविधाओं का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है व समाज का दूसरा वर्ग जिन्हें बहुसंख्यक वर्ग के नाम से जाना जाता है, इन समस्त सुख-सुविधाओं व उन समस्त अधिकारों से वंचित होकर विधि के शासन से शासित होता चला आ रहा है। यही कारण है कि संविधान में निहित उद्देश्य, विधि का शासन, स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के अधिकार खोखले स्वप्न मात्र बनकर रह गए हैं। अतः समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए न्यायालय को अधिक सक्रियता से कार्य करने को मजबूर होना पड़ा एवं लोकहित मुकदमों के माध्यम से न्यायालय ने समाज के गरीब, असहाय व निरक्षर वर्गों को अनेक क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। लोकहित मुकदमा के माध्यम से बहुसंख्यक वर्ग को न्याय उपलब्ध हो पाए। इस हेतु न्यायालय की लोकहित मुकदमों मे सक्रिय भूमिका के कारण अनेक नवीन आयामों में प्रशंसनीय भूमिका रही है, भारत में व्याप्त राजनैतिक भ्रष्टाचार व अनैतिकता, पर्यावरण सुरक्षा, बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति कराना व पुर्ननिवास की समस्या, सरकारी आवासों का मनमाने ढंग से आवंटन, कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, स्त्री व बच्चों के साथ अत्याचार, मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन, बच्चों व स्त्रियों के साथ वैश्यावृत्ति की घटनायें, पर्यावरण प्रदूषण, टेलीफोन एक्सचेंज में भ्रष्टाचार, गरीब, असहाय व निरक्षर लोगों का शोषण, सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा न मिलना, मरीजों के प्रति अस्पताल में असावधानीपूर्वक व्यवहार आदि अनेक मामलों में निःसन्देह लोकहित मुकदमों की विधिक सहायता के रूप में हमारे देश में अहम् भूमिका रही है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1. डा०एस०के०कपूर (१९८८) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लाल बाग, लखनऊ।
2. आर०पी०कटारिया (१९९२) भारतीय संविधान, ओरियण्टल लॉ हाउस, नई दिल्ली।
3. सी०पी०अरोरा (२००३) विविध अपराध अधिनियम, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
4. डा० एच०ओ०अग्रवाल (२००७) अर्न्तराष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. सी०पी०अरोड़ा (२००७) दण्ड प्रक्रिया संहिता, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेश, इलाहाबाद।
6. डा०यू०पी०डी०केसरी (२००९) हिन्दू विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।